

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती

सत्र वाद संख्या-102/2026

राज्य

बनाम

ननकने कुलदीप उर्फ मंगलेश

दिनांक-26-05-2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकारा गया। अभियुक्त ननकने कुलदीप उर्फ मंगलेश जिला कारागार बहराइच से जरिये वी०सी० उपस्थित है। पत्रावली में किशोर न्याय बोर्ड श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक-19-05-2026 की सत्यप्रति संलग्न है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से मुल्जिम ननकने कुलदीप उर्फ मंगलेश को किशोर अपचारी घोषित कर दिया है। अतः उक्त पत्रावली में पारित आदेश दिनांक-19-05-2026 के अनुक्रम में प्रश्रगत पत्रावली नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड, श्रावस्ती स्थानान्तरित की जाती है। आदेश की एक प्रति जिला कारागार श्रावस्ती/बहराइच को इस आशय के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त को नियत तिथि को किशोर न्याय बोर्ड, श्रावस्ती के समक्ष उपस्थित किया जाये। पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड, श्रावस्ती के समक्ष दिनांक-30-05-2026 को पेश हो।

(सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पाॅक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।